

राजस्थान सरकार
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान
जयपुर-302017

क्रमांक: एफ.1(165)संस्था- 111/रीपा/2019/ 8541

दिनांक: 22.06.2019

आदेश

24.

एचसीएम रीपा, जयपुर में समय-समय पर विभिन्न विषयों पर नीतिगत निर्णय व कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिये जाने अपेक्षित होते हैं। ऐसे निर्णय 'सामुहिक समझ' (कलेक्टिव विज्डम) के आधार पर लिये जाने की कोई व्यवस्था वर्तमान में नहीं है। अतः 'सामुहिक समझ' के आधार पर तर्कसंगत यथोचित निर्णय लेने हेतु निम्नानुसार एक हाईपावर समिति का गठन किया जाता है:-

- | | |
|---|--------------|
| 1. निदेशक/महानिदेशक | - अध्यक्ष |
| 2. अतिरिक्त महानिदेशक | - सदस्य |
| 3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) | - सदस्य |
| 4. अतिरिक्त निदेशक (लेखा) | - सदस्य |
| 5. अतिरिक्त निदेशक (बीमा) | - सदस्य |
| 6. अतिरिक्त निदेशक (आ.एण्ड वि.नि.) | - सदस्य |
| 7. प्रभारी अधिकारी (टी.एण्ड पी.) | - सदस्य |
| 8. प्रभारी अधिकारी (परिसर) | - सदस्य |
| 9. सम्बन्धित शाखा प्रभारी अधिकारी | - सदस्य |
| 10. विशेष आमंत्रित सदस्य (जब, कोई व जैसे आवश्यक हो) | - सदस्य |
| 11. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) | - सदस्य सचिव |

इस हाईपावर समिति का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार होगा:-

1. नीतिगत निर्णयों सम्बन्धी विषय।
2. अन्य महत्वपूर्ण प्रकरण जिसे निदेशक/महानिदेशक इस समिति को भेजे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(डॉ. भागचन्द्र बधाल)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

क्रमांक: एफ.1(165)संस्था- 111/रीपा/2019/ 8542-50

दिनांक: 22.06.2019

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

24.

- 1) सम्बन्धित अधिकारीगण, हचमा रीपा, जयपुर
- 2) निजी सचिव, निदेशक, हचमा रीपा, जयपुर
- 3) अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त महानिदेशक, हचमा रीपा, जयपुर
- 4) अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), हचमा रीपा, जयपुर
- 5) अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (लेखा), हचमा रीपा, जयपुर
- 5) नोटिस बोर्ड- नेहरू/पटेल भवन एवं विश्रान्ति, हचमा रीपा, जयपुर
- 6) रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)